



पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

सराहनीय कार्य

दिनांक 23.04.2021

1-थाना सेक्टर 20 पुलिस द्वारा फर्जी आधार कार्ड/खाता धारक बनकर लोगो के बैंक खातों मे रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर को बदलवाकर अपना नम्बर रजिस्टर्ड कराकर, नैटबैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन सोना खरीदकर बेच देने वाले गैंग के 07 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 18,96,000(18 लाख 96 हजार) रूपये नगद,05 एटीएम कार्ड,10 मोबाइल,04 फर्जी आधार कार्ड, 01 आई-20 कार बरामद ।

नोट- डीसीपी नोएडा द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम को 25 हजार रुपये से पुरस्कृत किया गया है।

दिनांक 22.04.2021 को थाना सेक्टर 20 पुलिस द्वारा धोखाधड़ी व जालसाजी करके फर्जी आधार कार्ड बनवाकर व फर्जी खाताधारक बनकर लोगो के बैंक खातों मे रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर को बदलवाकर अपना नम्बर रजिस्टर्ड कराकर उसमे नैटबैंकिंग कराकर ऑनलाइन सोना खरीदकर दिल्ली एनसीआर क्षेत्र मे दलालों के माध्यम से बेच देने वाले 07 अभियुक्तों 1. पवन पुत्र अमर सिंह निवासी म0न0 181 चौहान वाली गली ग्राम भौरगंठ थाना नरेला दिल्ली 2. सतीश पुत्र बन्सी लाल खुराना निवासी पटेल नगर कैम्प रोड थाना रोहतक जनपद रोहतक हरियाणा 3. तरूण महाजन पुत्र जोगेन्द्र निवासी ए-19 हरीनगर गली न0-13 थाना हरीनगर दिल्ली 4. विकास शर्मा पुत्र अखिलेश रंजन शर्मा निवासी बंधला लौहार वाली गली लोनी थाना लोनी गाजियाबाद 5. करण तनेजा पुत्र जोगेन्द्र तनेजा नि0 म0न0 135 एनआईटी-3 फरीदाबाद थाना सेक्टर 3 फरीदाबाद हरियाणा 6. रजनीश यादव पुत्र वीरेन्द्र सिंह निवासी नंगला पारसी थाना दादो जिला अलीगढ 7. सचिन पुत्र स्व0 सुशील सूद निवासी मैरेण्डा थाना पालमपुर कांगडा हिमाचल प्रदेश के गैंग को एसबीआई बैंक सेक्टर 2 नोएडा के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 18,96000 रूपये नगद व 04 फर्जी आधार कार्ड, 05 एटीएम कार्ड अलग-2 बैको/व्यक्तियों के तथा 10 मोबाइल फोन भिन्न-2 कम्पनियों के व घटना मे प्रयुक्त आई-20 कार को बरामद किया गया है।

अभियुक्तों का विवरण:

1. पवन पुत्र अमर सिंह निवासी म0न0 181 चौहान वाली गली ग्राम भौरगंठ थाना नरेला दिल्ली
2. सतीश पुत्र बन्सी लाल खुराना निवासी पटेल नगर कैम्प रोड थाना रोहतक जनपद रोहतक हरियाणा
3. तरूण महाजन पुत्र जोगेन्द्र निवासी ए-19 हरीनगर गली न0-13 थाना हरीनगर दिल्ली
4. विकास शर्मा पुत्र अखिलेश रंजन शर्मा निवासी- बंधला लौहार वाली गली लोनी थाना लोनी गा0बाद
5. करण तनेजा पुत्र जोगेन्द्र तनेजा निवासी म0न0 135 एनआईटी-3 फरीदाबाद थाना सेक्टर 3 फरीदाबाद हरियाणा
6. रजनीश यादव पुत्र वीरेन्द्र सिंह निवासी नंगला पारसी थाना दादो जिला अलीगढ़
7. सचिन पुत्र स्व0 सुशील सूद निवासी मैरेण्डा थाना पालमपुर कांगडा हिमाचल प्रदेश

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण:

1. मु0अ0स0 284/2021 धारा 420/467/468/471 भादवि0 थाना सेक्टर 20 नोएडा
2. मु0अ0स0 720/2020 धारा 420 भादवि0 व 66 आईटी.एक्ट थाना बिसरख ग्रेटर नोएडा
3. मु0अ0स0 284/2021 धारा 420/467/468/471 भादवि0 थाना सै0-20 नोएडा
4. मु0अ0सं0 41/2019 धारा 34 डी एक्स एक्ट थाना पंजाबी बाग दिल्ली
5. मु0अ0सं0 362/2015 धारा 420/467/468/471 भादवि0 थाना महेन्द्र पार्क दिल्ली
6. मु0अ0सं0 16/2015 धारा 41-1 एडी सीआरपीसी एक्ट थाना क्राईम ब्रान्च दिल्ली
7. मु0अ0सं0 199/2013 धारा 419/420/467/468/471/120बी भादवि0 व 66 आईटी.एक्ट EOW दिल्ली
8. मु0अ0सं0 158/2008 धारा 420/468/471/120बी भादवि0 थाना शालीमार बाग दिल्ली

बरामदगी का विवरण:

1. 18,96,000 रूपये नगद
2. 05 एटीएम कार्ड अलग-2 बैंकों/व्यक्तियों के
3. 10 मोबाइल फोन भिन्न-2 कम्पनियों के

4. 04 फर्जी आधार कार्ड

5. 01 आई-20 कार घटना मे प्रयुक्त



दिनांक 23-04-2021 को पुलिस महानिदेशक फायर सर्विस और पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर के आदेश के क्रम में अपर पुलिस आयुक्त मुख्यालय के निर्देशन में कोरोना के फैलते संक्रमण को रोकने के लिये जनपद के 86 स्थानों पर कराया गया सेनिटाइज

जनपद गौतम बुद्ध नगर के विभिन्न भागों में फायर सर्विस की गाड़ियां शुक्रवार के दिन सैनिटाइजेशन करने के लिए सड़कों पर उतरी, इन गाड़ियों द्वारा सैनिटाइजेशन करते हुए कोविड-19 संक्रमण की चेन को तोड़ने का किया गया प्रयास

गौतम बुद्ध नगर की अग्निशमन शाखा ने सैनिटाइजेशन हेतु विशेष अभियान चलाते हुए गाड़ियों द्वारा जनपद में 86 स्थानों पर सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया



जनपद में कोविड-19 महामारी के पुनः संक्रमण के खतरे को देखते हुए पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के निर्देशानुसार सभी थाना क्षेत्रों में पीसीआर, माइक मोबाइल जीप, पैदल गश्त टीम व स्वयं पुलिस अधिकारियों के द्वारा कोविड गाइडलाइन्स, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने, दो गज की दूरी व रात्रि कर्फ्यू तथा शुक्रवार रात्रि 8:00 बजे से सोमवार प्रातः 7:00 बजे तक लागू लॉकडाउन के सम्बंध में लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है। यदि कोई भी व्यक्ति कोविड सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर वैधानिक कार्यवाही करते हुए जुर्माना किया जाएगा।

इसी के क्रम में दिनांक 23.04.2021 को 853 व्यक्तियों पर चालान की कार्यवाही करते हुए 1,08,400 रुपये का जुर्माना वसूला गया साथ ही 12 व्यक्तियों को मास्क सम्बन्धी नियम की पुनरावृत्ति करने पर संशोधित दर 10,000 रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया। 1012 वाहनों का चालान करते हुए कुल 52600 रुपये शमन शुल्क वसूला गया साथ ही 02 वाहनों को सीज भी किया गया। 05 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 188 भादवि के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए 04 अभियोग पंजीकृत किये गए हैं।